न्यायालय जिला कलक्टर सीकर

पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 13/2019/अपील

बनवारीलाल पुत्र श्री नानूराम, जाति खटीक, निवासी पृथ्वीपुरा वाया पलसाना, तहसील दांतारामगढ़, जिला–सीकर (राज.)

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार (भूमिधारी) सीकर (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

1. श्री बजरंगसिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री दयाशंकर पंवार, सरकारी पैरोकार रेस्पो. की ओर से।

अपील अं.धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.01.2019 तहसीलदार सीकर मु.नं. 57/2018 सरकार बनाम बनवारीलाल अं.धारा 91 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांकः 16 जुलाई, 2024

1. अपीलांट **बनवारीलाल** की ओर से यह अपील वकील **श्री बजरंगसिंह शेखावत** द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक 11.01.2019 प्रकरण संख्या 57/2018 बउनवानी सरकार बनाम बनवारीलाल अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे निम्न प्रकार से हैं–

(1) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 11.01.2019 के द्वारा गै.मु.नाला खसरा नम्बर 652 ग्राम जुराठडा पर अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया है तथा बतौर शास्ति 50 गुणा

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

भू–राजस्व के 3/– रूपये की कायम की गई है। अपीलांट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है।

(2) अपीलांट ग्राम जुराठड़ा तहसील सीकर के खसरा नम्बर 628 रकबा 0.55 हैक्टेयर में पुख्ता मकानात बनाकर रह रहा है तथा काश्त कर रहा है। अपीलांट की पत्नी शारदा देवी ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2013 को क्रय की थी तथा उसके नाम से खातेदारी चली आ रही है। क्रय करने के बाद करीब 4 मीटर जमीन छोड़कर अपीलांट ने पुख्ता डण्डा बनाया था।

(3) अपीलांट पर खसरा नम्बर 652 वाके ग्राम जुराठड़ा के रकबा 0.005 गै.मु.नाला सिवाय चक की भूमि पर जो अतिक्रमण राजस्व अधिकारियों ने बताया है वह सर्वथा गलत है। अपीलांट अपनी भूमि खसरा नम्बर 628 में ही अपने क्रयशुदा रकबा पर काबिज है। खसरा नम्बर 638 से लगता खसरा नम्बर 652 है जिससे अपीलान्ट ने अपने खसरे में से 4 मीटर भूमि छोड़कर काबिज है। पूर्व दिशा में रास्ता पूरा छोडकर अपीलांट काबिज है किसी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। उक्त रास्ता की भूमि की फर्द जांच हल्का पटवारी अभयपुरा व गिरदावर हल्का पलसाना ने दिनांक 15.04.2015 का नाप जोख कर मौके पर तैयार की जिन्होंने अपीलांट का कोई अतिक्रमण नही पाया।

(4) अपीलांट द्वारा दिनांक 05.02.2019 को नकल हेतु दरख्वास्त लगाई जाकर दिनांक 06.02.2019 को नकल मिली तब निर्णय दिनांक 11.01.2019 की सर्वप्रथम जानकारी हुई। उसके बाद अपीलांट का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुति में दिनांक 11.01.2019 से दिनांक 04.04.2019 तक हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाने का निवेदन किया है।

(5) अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 11.01.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो. की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए।

3. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील आवेदन में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये हैं। वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट ग्राम जुराठड़ा तहसील सीकर के खसरा नम्बर 628 रकबा 0.55 हैक्टेयर में पुख्ता मकानात बनाकर रह रहा है तथा काश्त कर रहा है। अपीलांट की पत्नी शारदा देवी ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2013 को क्रय की थी तथा उसके नाम से खातेदारी चली आ रही है। क्रय करने के बाद करीब 4 मीटर जमीन छोड़कर अपीलांट ने पुख्ता डण्डा बनाया था। अपीलांट पर खसरा नम्बर 652 वाके ग्राम जुराठड़ा के रकबा 0.005 गै.मु.नाला सिवाय चक की भूमि पर जो अतिक्रमण राजस्व अधिकारियों ने बताया है वह सर्वथा गलत है। अपीलांट अपनी भूमि खसरा नम्बर 628 में ही अपने क्रयशुदा रकबा पर काबिज है। खसरा नम्बर 638 से लगता खसरा नम्बर 652 है जिससे अपीलान्ट ने अपने खसरे में से 4 मीटर भूमि छोडकर काबिज है। पूर्व दिशा में रास्ता पूरा छोडकर अपीलांट काबिज है किसी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। उक्त रास्ता की भूमि की फर्द जांच हल्का पटवारी अभयपुरा व गिरदावर हल्का पलसाना ने दिनांक 15.04.2015 का नाप जोख कर मौके पर तैयार की जिन्होंने अपीलांट का कोई अतिक्रमण नही पाया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक 11.01.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो. की ओर से उपस्थित सरकारी पैरोकार ने कथन किया है कि, इसी प्रकरण के सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा एक अपील विरूद्ध तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक 26.05.2015 न्यायालय जिला कलक्टर सीकर में प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय जिला कलक्टर सीकर में अपील प्रकरण संख्या 36/2015 बनवारीलाल बनाम तहसीलदार सीकर आदि दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 30.01.2018 पारित किया गया है। जिसमें अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि अपीलांट की भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2018 को अपीलांट को सीमाज्ञान हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

खातेदारी अपीलांट की पत्नि के नाम से होने के कारण शारदा देवी के नाम से सीमाज्ञान का आवेदन लगाया गया। चूंकि भूमि संयुक्त खातेदारी में थी, सभी खातेदार सीमाज्ञान करवाने पर सहमत नहीं थे। जिस कारण अपीलांट ने स्वयं ने अपना सीमाज्ञान आवेदन निरस्त फरमाने बाबत हस्ताक्षर किये हैं, जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। तत्पश्चात दिनांक 11.05.2018 को भू.अ.नि. पलासरा, पटवारी हल्का जुराठड़ा, पटवारी हल्का गोकुलपुरा व पटवारी हल्का कस्बा सीकर की टीम गठित कर खसरा नम्बर 652 किस्म गै.मु.नाला को चिन्हित करते हुए दिनांक 18.05.2018 को समस्त खातेदारों की उपस्थित में सीमाज्ञान करवाने के आदेश दिये गये। जिसके उपरान्त गठित टीम द्वारा खसरा नम्बर 652 किस्म गै.मु. नाला जो कि राजकीय भूमि है की पश्चिमी सीमा तथा खसरा नम्बर 628 खातेदारी भूमि की पूर्वी सीमा के बिन्दू कायम किये गये। पूर्व में दिनांक 03.06.2016 को अपीलांट का अतिक्रमण हटाया गया था। उसके बाद मौके पर अपीलांट का खसरा नम्बर 652 पर पुनः अतिक्रमण नहीं पाया गया, जो कि अधीनस्थ न्यायालय पर उपलब्ध रिपोर्ट दिनांक 23.07.2018 से प्रमाणित होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

4. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं:—

(1) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर में अपीलांट के विरूद्ध पूर्व में दर्ज प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट में प्रकरण संख्या 07/2015 बउनवानी राज. राज्य बनाम बनवारीलाल में दिनांक 26.05.2015 को अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित करते हुए बेदखली आदेश पारित किये गये थे। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इस न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण संख्या 36/2015 बउनवानी बनवारीलाल बनाम तहसीलदार सीकर में निर्णय दिनांक 30.01.2018 पारित कर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया है कि अपीलांट की भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(2) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 की पालना में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए खसरा

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

नम्बर 652 किस्म गै.मु.नाला जो कि राजकीय भूमि है की पश्चिमी सीमा तथा अपीलांट की पत्नि के नाम दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 628 की पूर्वी सीमा के बिन्दू कायम किये गये। जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका कार्यवाही बाबत सीमाज्ञान दिनांक 19.05.2018 से पुष्ट है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका बेदखली दिनांक 03.06.2016 से पुष्ट है कि पूर्व में दिनांक 03.06.2016 को अपीलांट द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया जा चुका है। उसके बाद मौके पर अपीलांट का खसरा नम्बर 652 पर पुनः अतिक्रमण नहीं पाया गया है, जो कि अधीनस्थ न्यायालय पर उपलब्ध रिपोर्ट भू.अ.नि. पलासरा दिनांक 23.07.2018 से प्रमाणित होता है।

(4) अपीलांट ने तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक 11.01.2019 प्रकरण संख्या 57/2018 बउनवानी सरकार बनाम बनवारीलाल अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। जबकि चुनौतीग्रस्त निर्णय में अपीलांट का राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण किया जाना नहीं बताया गया है।

(5) चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांक 11.01.2019 में अपीलांट के विरूद्ध पूर्व में किये गये अतिक्रमण के लिए शास्ति अधिरोपित की गई है। पुनः अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। जो कि अपीलांट ने स्वयं भी अपनी अपील में स्वीकार किया है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट **खारिज** की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2019 यथावत रखा जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक **16 जुलाई, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर
कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर